

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1315] No. 1315] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2015/आषाढ 2, 1937 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2015/ASHADHA 2, 1937

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2015

का.आ. 1676(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, स्थायी सलाहकार सिमित द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् आदेश का.आ. 527(अ), तारीख 13 फरवरी, 2015 के द्वारा निदेश दिया था कि उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को आपूर्ति अथवा वितरण के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2014-2015 के लिए अर्थात 30 जून, 2015 तक उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक किया जाएगा।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि 30 जून, 2015 को समाप्त होने वाली उपर्युक्त आदेश की विधिमान्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अविध अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा.सं.9/16/2011-जूट]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 527(अ), तारीख 13 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

2776 GI/2015 (1)

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2015

S.O. 1676(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by Order S.O. 527(E), dated the 13th February, 2015, that the commodities specified in column (2) of the Schedule to that Order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, for the year 2014-2015, i.e., upto 30th June, 2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid Order, expiring on 30th June, 2015, shall be extended for a further period of three months from the date of expiry of the said Order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 527(E), dated the 13th February, 2015.